उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध (सी0एन0टी0) वाद संख्या–42 / 2019–20

बिनोद मांझी एवं अन्य

–बनाम्–

मेसर्स ओ0एन0जी0सी0

–::आदेश::–

17.12.2021

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। 1 बिनोद मांझी 2. धेना राम मांझी उर्फ धेना बेसेरा दोनो पिता–स्व0 बबुआ मांझी 3. अमोस बेसरा 4. राजेश बेसरा 5. आशिष बेसरा तीनो पिता स्व0 हरीलाल मांझी उर्फ हरी मांझी उर्फ हरीलाल बेसरा 6.बुधन मांझी 7. रामलाल मांझी दोनो पिता स्व0 मोतीराम मांझी 8. सीताराम मांझी पिता स्व0 सुरजन मांझी 9. सिकरी मांझी पिता स्व0 बाजो मांझी 10. राजा बेसरा 11.पंकज बेसरा दोनो पिता स्व0 समर मांझी ग्राम–नौम टोला सियारी, थाना–गोमियां, जिला–बोकारो खतियानी रैयत स्व0 मगन मांझी के उत्तराधिकारी निज भूमि नीचे अंकित है, को ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसम्पत्ति बोकारो (प्रथम तल, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़, बोकारो) को कोल बेड मीथेन के दोहन हेतु पट्टा (लीज) पर देने की अनुमति प्रदान करने के लिए सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा
सियारी	99	37	406	54 डी0
		32	409	21 डी0

इस संदर्भ में आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एव अचल अधिकारी, गोमियां से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक–124, दिनांक–10.02.2020 का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि लीज पर दी जाने वाली भूमि मौजा सियारी, थाना नं0–99 खाता सं0–32 प्लॉट सं0–409 कुल रकवा–0.21 एकड़ मध्ये लीज हेतु रकवा 0.21 एकड़, खाता सं0–37, प्लॉट सं0–406, कुल रकवा 0.54 एकड़ मध्ये लीज हेतु रकवा 0.54 एकड़ भूमि रैयती खाते की है। भूमि का किस्म स्वरूप धान खेत तीन एवं धान खेत दो वर्तमान स्वरूप परती दर्ज है। लीजकर्त्ता जाति के संथाल है जो अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते है। लीज पर दी जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में भगत माँझी के नाम से दर्ज है। पंजी–।। पर सुरजन माँझी वगै0 के नाम से

जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वित्तीय वर्ष 1977–78 से 2001–2002 तक निर्गत है। लीजकर्त्ता को उक्त भूमि आपसी घरेलु बँटवारा द्वारा हासिल है। खतियानी रैयत का बिक्रेता से संबंध दादा/परदादा का है। लीजग्रहिता भू–हदबंदी के दायरे में नहीं आते है। लीज के लिए प्रस्तावित भूमि भू–दान, सैरात, वनभूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है। उनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि को कोल बेड मीथेन के दोहन कार्य के उद्धेश्य से ही रैयतों के द्वारा मेसर्स ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0, परिसम्पत्ति बोकारो (प्रथम तल, एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़, बोकारो) को लीज(पट्टा) के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना है। प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में समाचार पत्रों के गाध्यग रो आग रूचना प्रकाशन कर आपत्ति की मांग की गई थी जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है। आवेदक स्वेच्छा से प्रश्नगत भूमि को 25 वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स ओ0एन0जी0सी0 को पट्टे पर देना चाहते है। आवेदकों में से एक आवेदक सिकरी मांझी पिता स्व0 बाजो मांझी की मृत्यू हो गई है। उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमति तालो देवी को पक्षकार बनाने हेतु Substitution आवेदन के साथ मृत्यू प्रमाण पत्र एवं पारिवारिक सदस्यता प्रमाण–पत्र दाखिल किया जा चुका है। अंत में विद्वान अधिवक्ता Substitution आवेदन को स्वीकृत करने एवं प्रएागत भूमि को गेसर्स ओ0एन0जी0सी0 को पट्टे पर हस्तांतिरत करने का अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते है।

वर्णित परिस्थिति में श्रीमति तालो देवी को पक्षकार बनाने संबंधी दिये गए Substitution आवेदन को स्वीकृत करते हुए विद्वान अधिवक्ता की दलील, दाखिल दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी, गोमियां के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम पक्ष 1 विनोद मांझी 2. धेना राम मांझी उर्फ धेना बेसरा दोनो पिता–स्व0 बबुआ माझी 3. अमोस बेसरा 4. राजेश बेसरा 5. आशिष बेसरा तीनो पिता स्व0 हरीलाल मांझी उर्फ हरी मांझी उर्फ हरीलाल बेसरा 6.बुधन मांझी 7. रामलाल मांझी दोनो पिता स्व0 मोतीराम मांझी 8. सीताराम मांझी पिता स्व0 सुरजन मांझी 9. तालो देवी पति स्व0 सिकरी मांझी 10. राजा बेसरा 11.पंकज बेसरा दोनो पिता स्व0 समर मांझी ग्राम–नीम टोला सियारी, थाना–गोमियां, जिला–बोकारो, के द्वारा द्वितीय पक्ष मेसर्स ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0, परिसम्पत्ति बोकारो (प्रथम तल,

एच0एस0सी0एल0 भवन, नया मोड़, बोकारो) को मौजा सियारी, थाना नं0–99 खाता सं0–32 प्लॉट सं0–409 कुल रकवा–0.21 एकड़ मध्ये लीज हेतु रकवा 0.21 एकड़, खाता सं0–37, प्लॉट सं0–406, कुल रकवा 0.54 एकड़ मध्ये लीज हेतु रकवा 0.54 एकड़ भूमि 25(पच्चीस) वर्षो की अवधि के लिए लीज(पट्टा) के माध्यम से हस्तांतरित करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:–

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत द्वितीय पक्ष मेसर्स ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0, किसी भी कारण से या कोल बेड मीथेन के दोहन कार्य का उद्देश्य पूर्ण होने पर प्रश्नगत भूमि को किसी तीसरे पार्टी को न तो हस्तांतरित करेंगें और न ही पट्टे पर देगें। साथ ही यदि उन्हें प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता नहीं हो तो विपक्षी बिना किसी शर्त के प्रथम पक्ष को वापस करेंगें।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(3) के आलोक में विक्रेता द्वारा क्रेता को भूमि हस्तांतरण निबंधित केवाला के माध्यम से किया जाएगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(4) में वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड मुद्रांक (अवमूल्यन निवारण) नियमावली वर्ष 2012 अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित भूमि का न्यूनतम मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में उक्त राजस्व ग्राम हेतु अद्यतन औद्योगिक दर से कम मूल्य पर प्रश्नगत भूखण्ड का हस्तानांतरण नहीं होगा और यह दर किसी परिस्थिति में "The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" एवं यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत उस क्षेत्र में उस किस्म की दी जाने वाली भूमि के दर से कम नहीं होगा।

4. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49(5) में वर्णित प्रावधानों से यह आदेश प्रभावित होगा।

5. क्रेता द्वारा Jharkhdand Rehabilitation and Resettlement Policy एवं सरकार द्वारा यथा संशोधित इस संबंध में निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जायेगा।

6. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित भू–लगान क्रेता द्वारा भूमि हस्तानांतरण के पश्चात राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

10

7. अवर निबंधक, निबंधन से पूर्व क्रेता तथा विक्रेता के मध्य सहमति/Consensus के संबंध में संतुष्ट हो लेंगें।

उक्त विवेचना/शर्तो के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.12.2021

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

17.12.2021

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide No. 1989 Dated 5/2

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.21 17:04:04 +05:30
Location: 192.168.1.109